

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना राजेपुर

दि0-09.09.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्त को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त अरविन्द सिंह पुत्र रिषीपाल सिंह निवासी ग्राम वनिया द्वारा थाना जैथरा जनपद एटा मु०अ०स० 104/2010 वाद संख्या 117/2010 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 09.09.2025 को मा० न्यायालय एडीजे-07/एनडीपीएस फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी- श्री शील रत्न आनन्द



को० मो० म० हे०का० अलका



पैरोकार का० संजीव



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक - 09.09.2025

मु0अ0सं0 283/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंग्स्टर एक्ट से सम्बन्धित सट्टा माफिया हसनैन गैंग के सक्रिय सदस्य सर्वेश पाल द्वारा अवैध रूप से अर्जित व निर्मित अचल सम्पत्ति, कीमत करीब 7,64,18,290/- (सात करोड़ चौसठ लाख अठ्ठारह हजार दो सौ नब्बे रुपये) को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैंग्स्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फर्रुखाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 283/2023 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 बनाम हसनैन पुत्र जुम्नन खाँ निवासी खटकपुरा सिद्दीकी कोतवाली फर्रुखाबाद आदि पंजीकृत किया गया था। गैंगलीडर हसनैन के सक्रिय सदस्य सर्वेश पाल पुत्र मलखान सिंह निवासी पालीवाल वाली गली बेवर रोड भोलेपुर कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ द्वारा स्वयं के नाम अर्जित व निर्मित अचल सम्पत्ति, कीमत 7,64,18,290/- (सात करोड़ चौसठ लाख अठ्ठारह हजार दो सौ नब्बे) रुपये की सम्पत्ति को कुर्क किये जाने हेतु माननीय न्यायालय फर्रुखाबाद ने अपने आदेश वाद संख्या 10/2025 दिनांकित 06.09.2025 के द्वारा निम्नांकित सूची में अभियुक्त सर्वेश पाल उपरोक्त के नाम पंजीकृत अवैध अचल सम्पत्ति को गैंग्स्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किये जाने के लिये आदेशित किया गया। आदेश के क्रम में दिनांक 09.09.2025 को निम्न प्रारूप में अंकित सम्पत्ति, जिसकी कुल कीमत करीब कुल कीमत 7,64,18,290/- (सात करोड़ चौसठ लाख अठ्ठारह हजार दो सौ नब्बे रुपये) है, की कुर्की की कार्यवाही सम्पादित कराने हेतु प्रशासन द्वारा जनपद फतेहगढ़ में नियुक्त प्रशासक नायब तहसीलदार सदर फर्रुखाबाद श्री शनि कनौजिया मय राजस्व टीम के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी नगर, थानाध्यक्ष मऊदरवाजा व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली फर्रुखाबाद मय हमराह फोर्स एवं जोनल रिजर्व फोर्स के निम्नांकित सूची में अंकित अचल सम्पत्तियों पर जाकर नियमानुसार कुर्की आदेश की उद्घोषणा करते हुये डुगडुगी पिटवाकर नोटिस चस्पा किये गये तथा सम्पत्ति को सील करते हुये धारा 14(1) गैंग्स्टर एक्ट (कुर्की) की कार्यवाही सम्पादित करते हुये अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी।



प्रारूप –गैंग सदस्य सर्वेश पाल पुत्र मलखान सिंह निवासी पालीवाल गली भोलेपुर के नाम अचल सम्पत्ति

क्र0 सं0	सम्पत्ति का विवरण	नाम पंजीकृत स्वामी	सरकारी मूल्यांकन (रूपये)	मूल्यांकन PWD (रूपये)	बाजार मूल्यांकन (रु0)
1.	व्यवसायिक भवन व आवासीय प्लाट स्थित ग्राम बिजाधरपुर गाटा सं0 627 क्षेत्र 0202.70 वर्गमीटर बैनामा क्रमांक 1341 दिनांक 08.02.2013	सर्वेश पाल पुत्र मलखान सिंह निवासी पालीवाल गली भोलेपुर थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद	41,35,080/-	18,70,000/-	91,08,000/-
2.	आवासीय प्लाट स्थित ग्राम बिजाधरपुर गाटा सं0 311 क्षेत्र 0202.5 वर्गमीटर बैनामा क्रमांक 2938 दिनांक 27.03.2012	सर्वेश पाल पुत्र मलखान सिंह निवासी पालीवाल गली भोलेपुर थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद	20,04,750/-		74,55,000/-
3.	आवासीय प्लाट स्थित ग्राम बिजाधरपुर गाटा सं0 311 क्षेत्र 0236.55 वर्गमीटर बैनामा क्रमांक 11900 दिनांक	सर्वेश पाल पुत्र मलखान सिंह निवासी पालीवाल गली भोलेपुर थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद	27,58,170/-		52,04,100/-

	28.12.2012	फर्रुखाबाद		
4.	आवासीय प्लॉट स्थित ग्राम बिजाधरपुर कोड न0 141 क्षेत्र 148.8 वर्गमीटर बैनामा क्रमांक 4104 दिनांक 13.05.2013	सर्वेश पाल पुत्र मलिखान सिंह निवासी पालीवाल गली भोलेपुर थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद	15,77,280/-	57,20,000/-
5.	आवासीय प्लॉट स्थित ग्राम बिजाधरपुर गाटा सं0 311 क्षेत्र 164.6 वर्गमीटर बैनामा क्रमांक 6846 दिनांक 05.08.2013	सर्वेश पाल पुत्र मलिखान सिंह निवासी पालीवाल गली भोलेपुर थाना कोतवाली फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद	33,57,840/-	70,40,500/-
6.	आवासीय प्लॉट स्थित ग्राम बिजाधरपुर ख0 सं0 265 क्षेत्र 335 वर्गमीटर बैनामा क्रमांक 10082 दिनांक 22.08.2014	सर्वेश पाल पुत्र मलिखान सिंह निवासी पालीवाल गली भोलेपुर थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद	30,15,000/-	83,70,000/-
7.	आवासीय प्लॉट स्थित ग्राम बिजाधरपुर ख0 सं0 311 क्षेत्र 121.24 वर्गमीटर बैनामा क्रमांक 14167 दिनांक 19.10.2015	सर्वेश पाल पुत्र मलिखान सिंह निवासी पालीवाल गली भोलेपुर थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद	10,91,160/-	55,31,000/-
8.	आवासीय प्लॉट स्थित ग्राम धनुआ ख0 सं0 423 क्षेत्र 242.73 वर्गमीटर बैनामा क्रमांक 13203 दिनांक 17.10.2014	सर्वेश पाल पुत्र मलिखान सिंह निवासी पालीवाल गली भोलेपुर थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद	25,63,230/-	90,68,250/-
9.	आवासीय प्लॉट स्थित ग्राम धनुआ ख0 सं0 47 क्षेत्र 405.52 वर्गमीटर बैनामा क्रमांक 1996 दिनांक 03.02.2015	सर्वेश पाल पुत्र मलिखान सिंह निवासी पालीवाल गली भोलेपुर थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद	32,44,160/-	1,89,21,440/-
		योग— (सरकारी) 2,56,16,670/- (दो करोड़ छप्पन लाख सोलह हजार छः सौ सत्तर) रुपये		7,64,18,290/- (सात करोड़ चौसठ लाख अठ्ठारह हजार दो सौ नब्बे) रुपये (वर्तमान मूल्यांकन)

मु0अ0सं0 283/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट कोतवाली फर्रुखाबाद से संबंधित अभियुक्त गैंग सदस्य सर्वेश पाल उपरोक्त द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित व निर्मित की गयी अवैध अचल कीमत करीब **7,64,18,290/- (सात करोड़ चौसठ लाख अठ्ठारह हजार दो सौ नब्बे रुपये)** है, की कुर्की की कार्यवाही की गयी।

उपरोक्त प्रकरण में गैंग सदस्य सर्वेश पाल उपरोक्त द्वारा अर्जित अवैध चल अचल सम्पत्तियों की कुर्की की कार्यवाही के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में अब तक कुल 14,14,33,385/- (चौदह करोड़ चौदह लाख तैंतीस हजार तीन सौ पचासी रुपये) व सट्टा माफिया हसनैन गैंग की अब तक कुल 21,28,96,255/- (इक्कीस करोड़ अट्ठाईस लाख छियानवे हजार दो सौ पचपन रुपये) की सम्पत्ति कुर्क करायी जा चुकी है।

कुर्की की कार्यवाही में लगा फोर्स-

थाना मऊदरवाजा से लगा पुलिस बल -

1. थानाध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह
2. व0उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह
3. हे0का0 अनुज तिवारी
3. का0 सौरभ

कोतवाली फर्रूखाबाद से लगा पुलिस बल-

प्र0नि0 श्री राजीव पाण्डेय मय हमराह पुलिस बल।

जोनल रिजर्व पुलिस बल फतेहगढ़।

मीडिया सेल फतेहगढ़।

प्रेस नोट- थाना कम्पिल

दिनांक - 09.09.2025

थाना कम्पिल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 125/25 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ० संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कम्पिल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 125/25 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अनूप पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम जिजौटा बुजुर्ग थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अनूप पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम जिजौटा बुजुर्ग थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण - वादी द्वारा दिनांक 27.07.2025 को अभियुक्तगण द्वारा उसकी पुत्री से अतिरिक्त दहेज के रूप में एक बुलेट मो0सा0 व एक लाख रुपये की मांग करने तथा मांग पूरी न कर पाने पर वादी की पुत्री को प्रताड़ित करने व हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना कम्पिल पर सूचना दी गई। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 28.07.2025 को थाना कम्पिल पर मु0अ0सं0 125/2025 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम अनूप सिंह आदि 06 नफर पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 09.09.2025 को अभियुक्त अनूप उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त अनूप सिंह उपरोक्त ने जुर्म से इंकार करते हुये अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय मे देना बताया।

अभियुक्त अनूप उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 125/2025 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री कपिल चौधरी
2. उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह
3. का0 गुलशन ध्रुव

मीडिया सेल फतेहगढ़।